–: नवीनीकरण :–

यह अनुज्ञा–पत्र दिनांक .... से दिनांक .... तक के लिए नवीनीकृत किया गया ।

अनुज्ञा प्राधिकारी,
नगर निगम, जोधपुर।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2009) की धारा 340 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम जोधपुर एतदद्वारा निम्न उपविधि बनाती है :–

1. **नाम एवं प्रभावशीलता** :– (1) यह उपविधि नगर निगम जोधपुर (मोबाइल टॉवर / पोल एन्टिना) उपविधि 2010 कहलायेगी।

(2) यह उपविधि नगर निगम,जोधपुर के समस्त स्थानीय क्षेत्राधिकार पर प्रभावशील होगी।

2. **सेल्यूलर फोन्स एवं अन्य समस्त प्रकार के लिए भवनों की छतों व खुले प्रसारण टॉवर / पोल एन्टिना लगाये जाने हेतु आवेदन**– (1)सेल्यूलर फोन्स एवं अन्य समस्त प्रकार के प्रसारण के लिए भूमि अथवा भवन पर प्रसारण टॉवर / पोल एन्टिना लगाने बाबत् संबाधेत मुख्य नगर निगम अधिकारी, को आवेदन करना होगा। टॉवर / पोल एन्टिना स्थापना हेतु प्रस्तावित क्षेत्र को चाहे किसी विकास प्राधिकरण, आवासन मण्डल एव नगर विकास न्यास अथवा किसी भी बोर्ड / संस्था द्वारा विकसित किया गया हो [illegible] सम्बन्धित स्थानीय निकाय को हस्तान्तरित नहीं किया गया हो, तब भी सम्बन्धित नगर निगम मे आवेदन [illegible]

(2) आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया [illegible] लाईसेन्स भवन / प्लॉट मालिक के साथ किये गये पंजीकृत एग्रीमेन्ट स्ट्रेक्चलर सेफटी सर्टिफिकेट, टॉवर / पोल एन्टिना एवं अस्थायी निर्माण से संबधित अधिकृत डिजाईन डाइगस इत्यादि इस उप विधि अनुसार संलग्न करना आवश्यक होगा।

3. **अनुज्ञा–पत्र की अवधि** – अनुज्ञा पत्र पॉच वर्ष की अवधि के लिए ही जारी किया जा सकेगा। नगर निगम का अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन को स्वीकृत / अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।

4. **सरकारी एवं गैरसरकारी संस्था की अनुमति**:– प्रस्तावित टॉवर / पोल एन्टिना के निर्माण सबंधी किसी भी सरकारी एवं गैरसरकारी संस्था की अनुमति की आवश्यकता हो तो वह अनुज्ञाधारी अपने स्तर से प्राप्त करेगा।

5. **टॉवर / पोल एन्टिना लगाने हेतु स्ट्रक्चर**:– टॉवर / पोल एन्टिना से संबंधित सम्पूर्ण स्ट्रक्चर अस्थाई होगा लेकिन ढाचागत सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।

6. **तड़ित चालक इत्यादि का प्रावधान**:– अनुज्ञाधारी द्वारा अग्नि व आकाश में उत्पन्न बिजली की सुरक्षा हेतु तड़ित चालक का प्रावधान किया जाना आवश्यक होगा।

7. **भवन एवं नागरिकों की सुरक्षा**:– अनुज्ञाधारी द्वारा भवन व आम नागरिकों के जान–माल की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखना होगा। जिन भवनों पर मोबाइल टॉवर लगाने हतु उनकी संरचना में न्यूनतम एवं स्टील के कॉलम बेस तथा तकनीकी दृष्टि में भूकम्परोधी एवं तेज गति से आने वाले तूफानों को सहन करने की क्षमता वाले हो।

8. **संरचना एवं स्थिरता प्रमाण–पत्र**:– भवन जिस पर टॉवर / पोल एन्टिना लगाया जाना प्रस्तावित है की संरचना एवं स्थिरता (Structural Design& Stability) बाबत निम्न में से किसी एक संस्था से प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(a) M.N.I.T. jaipur/BITS Pilani/Any Government Engg. College, Rajasthan

(b) Rail India Technical & Econmic Service, Delhi (RITES)

(c) National Council for building Material, Faridabad

(d) Executive Engineer concerned, Public Works Department, Rajasthan

(e) Covernment Registered Chartered Engineers(Including those registered wiht ULBs)

9. **सूचीबन्धत पुरात्तव एवं हैरिटेज भवनों पर प्रतिबंध**— सूचीबन्ध पुरात्तव एवं हैरिटेज से संबंधित किसी भी भवन पर टॉवर/पोल एन्टिना लगाने की अनुमति अनुज्ञेय नहीं होगी।

10. **बिना स्वीकृति निर्मित भवन पर टॉवर/पोल लगाया जाना प्रतिबन्धित** — स्थानीय निकाय इत्यादि से बिना स्वीकृति निर्माण किये गये भवन पर टॉवर/पोल एन्टिना लगाने की अनुमति अनुज्ञेय नहीं होगी।

11. **भवन पर टैक्स/फीस निकाय की बकाया होने पर अनुज्ञा देय नहीं होगी**:— ऐसे भवन एवं प्लॉट में टॉवर/पोल एन्टिना लगाने हेतु अनुज्ञा जारी नहीं की जा सकेगी जिसकी मालिकों द्वारा नगर निकाय/संस्था को देय किसी भी टैक्स/फीस इत्यादि अदा नहीं की गई हो।

12. **निकाय को जाँच का अधिकार** :— टॉवर/एन्टिना स्थानीय निकायों इत्यादि को समय—समय पर टॉवर/पोल एन्टिना की जाँच करने बाबत् पूर्ण अधिकार होगा।

13. **टॉवर/पोल एन्टिना लगाने हेतु सड़क की अपेक्षित न्यूनतम चौड़ाई** :— खुले स्थानों/भूखण्डों/भवनों पर नये टॉवर/पोल एन्टिना स्थापित करने हेतु प्रस्तावित स्थल की एप्रोच सड़क 30'—0" फीट से कम नहीं होनी चाहिए।

14. **टॉवर/पोल एन्टिना लगाने हेतु न्यूनतम भूखण्ड की माप अपेक्षित** :— खुले स्थानों पर टॉवर स्थापित करने हेतु भुखण्ड की माप न्यूनतम 30'X30' होना आवश्यक है।

15. **टॉवर/पोल एन्टिना लगाने हेतु भुखण्ड स्वामी के साथ लिखित अनुबंध अपेक्षित**:— टॉवर/पोल एन्टिना स्थापित किये जाने हेतु भवन अथवा भूखण्ड स्वामी एवं आवेदक के मध्य वैधिक रूप से पंजीकृत अनुबन्ध निष्पादित किया जाना होगा।

16. **टॉवर/पोल एन्टिना सहभागी आधार पर लगाने की अनुमति** :— एक टॉवर/पोल एन्टिना पर शेयरिंग बेसिस पर मूल अनुज्ञाधारी की सहमति से अतिरिक्त एन्टिना लगाने हेतु स्वीकृति दी जा सकेगी, यदि वह अन्य सभी दिशा निर्देशों को पूरा करते है।

17. **ध्वनि प्रदुषण से मुक्त डी.जी. सेट आवश्यक**:— प्रसारण टॉवर/पोल एन्टिना के संचालन के लिए ध्वनि प्रदूषण से मुक्त डी.जी. सेट लगाना नियमानुसार अनुज्ञेय होगें। इस हेतु आवश्यकतानुसार अनुमति अलग से संबंधित संस्था से प्राप्त करनी होगी।

18. **हैरिटेज घोषित किये जाने पर टॉवर/पोल एन्टिना हटाया जाना**:— भवन/भूखण्ड को हैरिटेज घोषित किये जाने पर उस पर स्थापित टॉवर/पोल एन्टिना तत्काल हटाये जायेगें।

19. **टॉवर हेतु पंजीयन व मासिक शुल्क** :—प्रत्येक आवेदकों को टॉवर लगाने हेतु 50,000/—(अक्षरे पचास हजार रुपये) रजिस्ट्रेशन/स्वीकृति शुल्क के रूप में संबंधित स्थानीय निकायों/संस्था में जमा कराने होगे।

यदि एक टॉवर को दो से अधिक सेवा प्रदाताओं द्वारा उपयोग में लिया जाता है तो ऐसे अतिरिक्त प्रत्येक सेवाप्रदाता द्वारा 25,000/— (अक्षरे पच्चीस हजार रुपये) रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में जमा कराना होगा, लेकिन यदि उसी सेवा प्रदाता द्वारा अतिरिक्त एन्टिना उसी टॉवर पर लगाया जाता है तो अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा। यह राशि वापिस लौटाये जाने योग्य नहीं होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक टॉवर हेतु मासिक अनुज्ञा शुल्क के रूप में 10/— रुपये प्रति वर्ग फीट या 5000/— रु. जो भी अधिक हो भी अदा करने होंगे।

20. **पोल एन्टिना हेतु पंजीयन एवं मासिक शुल्क**:— पोल एन्टिना हेतु प्रत्येक आवेदक को पोल एन्टिना लगाने हेतु 20,000/— (अक्षरे बीस हजार रुपये) रजिस्ट्रेशन/स्वीकृति शुल्क के रूप में सम्बन्धित स्थानीय निकायों/संस्था में जमा कराने होगें।

यदि एक पोल एन्टिना को अन्य सेवा प्रदाता द्वारा शेयर किया जाता है तो प्रत्येक अतिरिक्त एन्टिना हेतु आवेदक द्वारा 10,000/— (अक्षरे दस हजार रुपये) जमा कराने होगें, लेकिन यदि उसी सेवा प्रदाता द्वारा अतिरिक्त एन्टिना उसी टॉवर पर लगाया जाता है तो अतिरिक्त शुल्क देय नही होगा। यह राशी वापिस लौटाये जाने योग्य नहीं होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पोल एन्टिना हेतु मासिक अनुज्ञा शुल्क के रूप में 10/— रुपये प्रति वर्ग फीट या 2,000/— रू. जो भी अधिक हो भी अदा करने होंगे।

नोटः— पोल एन्टिना से तात्पर्य ऐसे से है, जो एक या एक से अधिक मुख्य टावर्स से उपभोक्ता के सम्पर्क सम्प्रेक्षण को अतिरिक्त प्रभावशाली बनाने हेतु स्थापित किए जाते है

21. पूर्व में स्थापित टॉवरों की अनुज्ञा के संबंध में :- वर्तमान में स्थापित टॉवरों के संबंध में पंजीकरण फीस 25,000/— (अक्षरे पच्चीस हजार रुपये) [illegible]

आदेश के जारी होने की दिनांक से मासिक अनुज्ञा शुल्क 10/- रूपये प्रति वर्ग फीट या [illegible],000/- (अक्षरे पाच हजार रूपये) जो भी अधिक हो भी वसूलनीय होगा।

22. **पूर्व में स्थापित पोल एन्टिना के पंजीयन एवं मासिक शुल्क** :- वर्तमान मे स्थापित पोल एन्टिना के संबंध में पंजीकरण फीस 10,000/- (अक्षरे दस हजार रुपये) के साथ इस आदेश के जारी होने के 30 दिवस के अन्दर-अन्दर अनुज्ञा हेतु सम्बन्धित नगर निकाय/संस्था में आवेदन करने होंगे। यह राशि वापिस लोटाये जाने योग्य नहीं होगी। साथ ही इस आदेश के जारी होने की दिनांक से मासिक अनुज्ञा शुल्क 10/- रुपये प्रति वर्ग फीट या 2,000/- (अक्षरे दो हजार रुपये) जो भी अधिक हो भी वसूलनीय होगा।

23. **मासिक अनुज्ञा शुल्क जमा कराने की अवधि** - तीन माह का मासिक अनुज्ञा शुल्क अग्रिम जमा करने होंगे साथ ही मासिक अनुज्ञा शुल्क प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जमा कराने होंगे। टॉवर पोल/एन्टिना माह के किसी भी दिन में लगाने व हटाने पर उक्त माह का सम्पूर्ण शुल्क जमा कराना होगा। अनुज्ञा अवधि हेतु यह राशि एक मुश्त भी जमा करायी जा सकेगी।

24. **मासिक शुल्क में छूट** - अनुज्ञाधारी यदि मासिक शुल्क को एक साथ सम्पूर्ण वर्ष के लिए अग्रिम जमा कराना चाहता है तो उसे 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। लेकिन ऐसी अग्रिम [illegible] माह अप्रेल की 10 तारीख तक जमा करनी होगी। वार्षिक अनुज्ञा फीस वित्तीय वर्ष अनुसार माह अप्रेल से [illegible] देय होगी।

25. **अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण फीस** :- अनुज्ञाधारी द्वारा अनुज्ञा अवधि समाप्त होने के एक माह पूर्व अनुज्ञापत्र की अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन मय अनुज्ञापत्र आवेदन हेतु उक्त उपविधि के क्लाज 19 व 20 में निर्धारित शुल्क का आधा शुल्क जमा कराना होगा।

26. **विलम्ब से फीस** :- विलम्ब से फीस/राशि अदा करने पर 18 प्रतिशत वार्षिक दर से अतिरिक्त ब्याज नगरीय निकाय/संस्था द्वारा वसूल किया जायेगा तथा तीन माह तक की अनुज्ञा राशि की अदायगी नहीं होने पर जारी अनुज्ञा स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा टावर/पोल एन्टिना से सम्बन्धित मशीन [illegible] स्ट्रेक्चर को नगर निकाय जब्त कर सकेगी।

27. **मासिक अनुज्ञा शुल्क का स्थानान्तरण** :- मासिक अनुज्ञा शुल्क स्थानीय नगर निकाय में जमा कराना होगा। टावर/पोल एन्टिना का क्षेत्र अन्य नगर निकाय को स्थानान्तरित होने पर ऐसे नगर निकाय को मासिक अनुज्ञा शुल्क देय होगा।

28. **राजकीय विभागों से शुल्क वसूलनीय नहीं होगा** :- पुलिस, सुरक्षाबल, सरकारी विभाग द्वारा स्थापित टावर/पोल एन्टिना के सम्बन्ध में कोई शुल्क वसूलनीय नहीं होगा।

29. **टावर/पोल एन्टिना को हटाने के आदेश पर इन्हें हटाया जाना आवश्यक** [illegible] नगर निकाय/राज्य सरकार/संस्था द्वारा टावर/पोल एन्टिना को हटाने हेतु आदेश दिये जाने पर [illegible] टावर/पोल एन्टिना हटाना होगा। यदि टावर/पोल एन्टिना नहीं हटाया जाता है तो नगर निकाय/संस्था द्वारा अपने स्तर से उक्त टावर/पोल एन्टिना को हटा कर जब्त कर लिया जायेगा तथा उक्त कार्यवाही पर होने वाले व्यय की राशि अनुज्ञाधारी/सम्बन्धित व्यक्ति से वसूलनीय होगी। व्यय की राशि कम्पनी द्वारा जमा नहीं कराने पर राशि की वसूली भू-राजस्व अधिनियम के तहत संबंधित निकाय/संस्था को वसूलने का अधिकार होगा।

30. **टावर/पोल एन्टिना की जब्ती** - बिना अनुमति/अनुज्ञा के लगाये गये टावर/पोल एन्टिना को नगर निकाय जब्त कर सकेगी एवम् उसको हटाने [illegible] कानूनी कार्यवाही उनके विरुद्ध की जायेगी।

31. **टावर/पोल एन्टिना एवं भवन इत्यादि को नुकसान पर हर्जा के संबंध मे** टावर/पोल एन्टिना एवं भवन इत्यादि से उत्पन्न नुकसान के सम्बन्ध मे प्रत्येक प्रकार के हर्जे नुकसान इत्यादि के लिए स्वयं अनुज्ञाधारी/भवन मालिक जिम्मेदार होगा। तथा राज्य सरकार अथवा नगर निकायों/संस्थाओं की किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नही होगी।